

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/ 2784

दिनांक : 19-12-15

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 को 11:00 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर
 - उप नगर नियोजक, उदयपुर
 - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक अजमेर (प्रतिनिधि कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर)
 - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)
 - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)
 - जिला नगर नियोजक, टोंक
 - जिला नगर नियोजक, भीलवाड़ा

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	36
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	33
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने	03

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 10.09.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में समस्त प्रकरणों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि सभी नगरों का एकीकृत विकास किया जाना चाहिए और कहा कि बड़ी योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथा यह भी निर्देश दिये कि मास्टर प्लान बनाते समय आम जन की निजी भूमि के स्थान पर राजकीय/सरकारी भूमि को भू-उपयोग सुविधा क्षेत्र पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित रखे जाने का यथा संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आम जन को परेशानी न हो

तथा मास्टर प्लान लचीला होना चाहिए। सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये की भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के पश्चात् 90-ए की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान व पट्टे जारी करने की कार्यवाही 3 माह में सम्पन्न कर दी जानी चाहिए एवं नगरीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य भी आवश्यक रूप से स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। तथा उपरोक्त अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों की पालना हेतु 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भूमि के ले-आउट प्लान में उपरोक्त नीतियों के अनुसार भू-खण्डों का आरक्षण किया जाना एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की सुनिश्चितता निदेशालय के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा की जावेगी। अतः ऐसे समस्त स्वीकृत ले-आउट प्लान नगरीय निकायों के स्तर पर प्राप्त होते हैं उन ले-आउट प्लान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित नगरीय निकायों से पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को अधिकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में समस्त नगरीय निकायों को पृथक से निर्देशित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों के तहत आरक्षित भूमि के रिकार्ड का संधारण भी निदेशालय के स्तर पर किया जा सके, ताकि E.W.S./L.I.G. हेतु आरक्षित भूमियों के लाभार्थियों हेतु उचित कार्यवाही की जा सके।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2784-86 दिनांक : 18-12-2015

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2787-89 दिनांक : 18-12-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर।
2. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, आसीन्द, देवली, परबतसर, गंगापुर (भीलवाड़ा), उनियारा, डीडवाना, सुरतगढ़, रतनगढ़, भादरा, पीलीबंगा, नीमकाथाना, रीगंस, नवलगढ़, विराटनगर, फुलेरा, शाहपुरा, चाकसु, सुमेरपुर, तखतगढ़, आबूरोड, कपासन, फतहनगर-सनवाड़, छोटी सादड़ी, आभेट, कानोड, कुशलगढ़।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2790-94 दिनांक : 18-12-2015

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।

विषय:-नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित
राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही
विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित
भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक
07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम
कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई
त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

(Handwritten Signature)
18/12/2015

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2795-97 दिनांक : 18-12-2015
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर।
2. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर, हनुमानगढ़, चित्तोडगढ़।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, आसीन्द, देवली, परबतसर, गंगापूर
(भीलवाड़ा), उनियारा, डीडवाना, सुरतगढ़, रतनगढ़, भादरा, पीलीबंगा, नीमकाथाना,
रीगंस, नवलगढ़, विराटनगर, फुलेरा, शाहपुरा, चाकसु, सुमेरपुर, तखतगढ़, आबूरोड़,
कपासन, फतहनगर-सनवाड़, छोटी सादड़ी, आमेट, कानोड़, कुशलगढ़।

(Handwritten Signature)
18/12/2015

(आर.के. विजयवर्गीय)


वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdllb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बन्धित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 को सभागार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	नाम निकाय
1.	Purushotam Biyani	Director Cum Joint Secretary, DLB
2.	R.K.Vijayvargia	S.T.P., DLB
3.	Sugreeb Singh	S.T.P., Bikaner
4.	Arvind Sing Kanawat	D.T.P., Udaipur Zone
5.	Ganpat Lal Suthar	A.T.P. Jaipur Zone
6.	Nansee Jain	A.T.P. Ajmer Zone
7.	Anupam Sharma	D.T.P., Bhilwara
8.	Kishan Khanda	D.T.P., Tonk
9.	Mahesh Chandra Pareek	A.T.P. Jaipur Zone
10.	Mahima Dangi	E.O. Fulera
11.	Suresh Kumar Meena	Viratnagar
12.	Dharmpal Jat	M.C. Hanumangarh
13.	Salim Khan	E.O.N.P. N.K.T. Sikar
14.	Navaneet Kumar	E.O. Navalgarh
15.	Pawan Meena	E.O. Asind
16.	Mamta Nagar	E.O. Shahpura
17.	Rajulal Meena	E.O. Uniyara
18.	Ganpat Lal Khatik	E.O., Kushalgarh
19.	Mukesh Kumar	E.O., Sumerpur


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण

अजमेर जोन						
पुष्कर						
क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	समिति का निर्णय
01	श्री कामराज पुत्र श्री भाणु सोभागमल पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद व अन्य	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 174 का पार्ट व 180 में से 7455.07 व.ग. (6233.34 व.मी.)	अन्य सामुदायिक सुविधायें	हैण्ड्री ब्रान्पट व होटल	0.623 है०	स्वीकृत
आसीन्द						
02	श्री मांगू भील पुत्र श्री प्रताप भील, श्री रतन लाल पुत्र श्री सुखा भील	राजस्व ग्राम आसीन्द के ख. नं. 3663 से 3668, 3677,3678 व 3536 कुल किता 9, क्षेत्रफल 1.92 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.92 है०	स्वीकृत
03	श्री मांगू भील पुत्र श्री प्रताप भील	राजस्व ग्राम आसीन्द के ख. नं. 1115, 1116, 1117, 1119, 3548 कुल किता 5, क्षेत्रफल 1.17 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.17 है०	स्वीकृत
देवली						
04	श्री सत्यनाराण पुत्र स्व. श्री भूरालाल सुवालका	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 4029 व 4031, रकबा 0.18 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.18 है०	स्वीकृत
	श्री उम्मेद कुमार पुत्र स्व. श्री भूरालाल सुवालका	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5179/4032, रकबा 0.14 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.14 है०	
	श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भूरालाल सुवालका	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5176/4032, रकबा 0.14 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.14 है०	
	श्री अनिल कुमार व पुष्परज पुत्र स्व. श्री ताराचन्द	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5174/4032, रकबा 0.14 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.14 है०	
05	श्री प्रभू लाल पुत्र श्री गंगाराम, श्रीमति कमला पत्नि श्री प्रभुलाल व श्रीमति कमला पत्नि श्री किशन लाल	राजस्व ग्राम ऊचा खसरा नं. 1091, 1092,1093,1094, 1095	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	2.91 है०	आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
परबतसर						
06	श्री जयसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह	राजस्व ग्राम पीपलाद के खसरा नं. 48 से 55 रकबा 6.10 है.	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	6.10 है०	स्वीकृत
07	श्रीमती सोनिया कंवर पत्नि श्री दृगपाल सिंह	राजस्व ग्राम परबतसर के खसरा नं. 98 (पुराना) व 138 (नया) रकबा 0.57 है०	वृक्षारोपण पट्टी, सरकारी अर्द्धसरकारी	शैक्षणिक (कोचिंग सेन्टर) प्रयोजनार्थ	0.57 है०	स्वीकृत
नागौर						
08	इमानुएल स्कूल सोसाइटी, अध्यक्ष श्री विशप सेमुएल थोमस	राजस्व ग्राम नागौर के खसरा नं. 62 रकबा 1936 वर्गगज	आवासीय से	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ	0.161 है०	स्वीकृत
गंगापूर (भीलवाड़ा)						
09	महाराणा प्रताप राजपूत सेवा एवं शिक्षण संस्थान	राजस्व ग्राम मैलोनी खेड़ा के खसरा नं. 3198/2261, रकबा 0.31 है०	राजकीय	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ	0.31 है०	स्वीकृत
उनियारा						
10	नगर पालिका उनियारा	राजस्व ग्राम उनियारा के खसरा नं. 975	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ (गाडोलिया लुहार हेतु आवंटित भूमि)	1.32 है०	स्वीकृत
डीडवना						
11	श्री नेमीचन्द तंवर पुत्र श्री जगन्नाथ	राजस्व ग्राम डीडवना के खसरा नं. 189/1	पब्लिक यूटीलीटी	वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ	728.43 व. मी. में से 579.43व. मी. भूमि	स्वीकृत
बीकानेर जोन						
हनुमानगढ़						
12	श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री बृजलाल	चक नं. 48 एनजीसी के प.न. 128/263 के मु.नं. 34, किला नं. 21/1/0.017, प.न. 128/264 के मु.नं. 43, किला नं. 1/2/0.022 कुल 0.039 है (390 व.मी.)	केन्द्रीय बस स्टेण्ड	व्यावसायिक	0.039 है०	स्वीकृत
13	श्री गुलजार, श्री जग्गा सिंह पुत्र श्री जीत सिंह रामगढ़िया साकिन	चक नं. 48 एनजीसी के प.न. 131/261 के किला नं. 2/0.090, 3/0.036 कुल 0.126 है	वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	व्यावसायिक	0.126 है०	स्वीकृत
सूरतगढ़						
14	श्री नरेन्द्र मूलचन्द धनवानी पुत्र श्री मूलचन्द धनवानी व अन्य	राजस्व ग्राम नाणकसर के खसरा नं० 272/234	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	2.922 है०	स्वीकृत
15	राजस्थान आवासन मण्डल	राजस्व ग्राम सूरतगढ़ के खसरा नं० 355/6	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	84.72 है०	स्वीकृत

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

रतनगढ़						
16	श्री जगदीश सिंह चारण पुत्र श्री रतनदान चारण	राजस्व ग्राम देराजसर के खसरा नं० 301/264/259,	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	व्यावसायिक	0.91 है०	स्वीकृत
भादरा						
17	नगर पालिका, भादरा	मुरब्बा नं. 107, किला नं. 2, मुरबा नं. 94, किला नं. 19/2 रकबा 0.54 है०	परिधि नियंत्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.54 है०	स्वीकृत
जयपुर जोन						
नीम का थाना						
18	श्री रामनिवास सैनी, नवल किशोर जिन्दल, रमेश कुमार सैनी, विश्वनाथ सैनी व ओम प्रकाश सैनी	नीम का थाना में आवासीय पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1476.33 वर्गगज	फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यावसायिक व पीयू	व्यावसायिक	0.123 है०	स्वीकृत
रींगस						
19	मैसर्स स्काई वे कॉलोनाइजर्स प्रा.लि. अधिकृत सुशील गुप्ता	राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नं. 5295/1, रकबा 5.3863 है. में से 1.924 है.	परिधि नियंत्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.924 है०	स्वीकृत
नवलगढ़						
20	श्री संजय कुमार पुत्र श्री आशाराम मेघवंशी	राजस्व ग्राम नवलडी के खसरा नं. 166 रकबा 0.03 है०	परिधि नियंत्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.03 है०	स्वीकृत
विराटनगर						
21	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार धानक	राजस्व ग्राम पापड़ी के खसरा नं. 1196, 1197, 1198 कुल रकबा 3.33 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	3.33 है०	स्वीकृत
फुलेरा						
22	श्री घनश्याम वर्मा पुत्र श्री भंवर लाल वर्मा	राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 1175/253, 1178/256, 1181/260, 1184/262	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.98 है०	स्वीकृत
	श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2049, 2050, 2051	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.98 है०	
	श्री दामोदर कुमावत पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश दुलानी	राजस्व ग्राम बाघपुरा के ख.नं. 159/392	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.97 है०	
	श्री तनुज शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर लाल शर्मा	राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2038, 2052, 2053, 2054	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.97 है०	
	श्री तनुज शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर लाल शर्मा	राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2033, 2054, 2041, 2042	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.50 है०	
	श्री तनुज शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर लाल शर्मा	राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2039, 2040, 2043, 2048	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	2.23 है०	
	मॉ वैष्णो सिटी	राजस्व ग्राम फुलेरा के ख.नं. 1018, 1019, 1021/1, रकबा 4.84 है० में से 3.39 है.	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	3.39 है०	
शाहपुरा						
23	श्री साधु राम यादव जरिये मुख्यतार आम खातेदार श्री राजीव कुमार व संत कुमार	राजस्व ग्राम विदारा के खसरा नं. 816, 825/1619, 825/1617, 816/1618 कुल किला 4	वृक्षारोपण भूमि/वन भूमि	व्यावसायिक	1.845 है०	स्वीकृत
जोधपुर जोन						
सुमेरपुर						
24	श्रीमति शकुन्तला पत्नि विजय मेवाडा, श्रीमति मंजु पत्नि सुभाष मेवाडा, श्रीमति कंचन पत्नि भरत मेवाडा एवं श्रीमति मोना पत्नि हितेन्द्र मेवाडा	राजस्व ग्राम अणगौर/ खसरा नं. 185, 186, 187	आवासीय	व्यवसायिक	1.23 है०	आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
तखतगढ़						
25	श्री जैसाराम पुत्र मगाराम जाति मीणा	राजस्व ग्राम बिदुड़ा के खसरा नं. 616, 613, 613/	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	4.93 है०	स्वीकृत
उदयपुर जोन						
कपासन						
26	श्री श्याम सुन्दर, रमेश कुमार, राजेन्द्र कुमार पिता श्री मांगीलाल जी राठी	राजस्व ग्राम कपासन के आराजी संख्या 5934/1, 6864/5934, 5935 कुल क्षेत्रफल 0.92 है०	बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं ओ.सी.एफ.	आवासीय	0.92 है०	आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
फतहनगर -सनवाड़						
27	श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवजी	राजस्व ग्राम वासनी माफी के खसरा नं० 629, 632/1, 633/1, कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा (61855.2 वर्गफीट)	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.574 है०	स्वीकृत

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

छोटी सादडी						
28	श्री शान्ति लाल पुत्र श्री भागीरथ उपाध्याय	राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० 766 कुल रकबा 0.49 है० में से 0.25 है०	थोक व्यापार	आवासीय	0.25 है०	स्वीकृत
	श्री देवेन्द्र पुत्र श्री शान्ति लाल उपाध्याय	राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० 766/2688, रकबा 0.24 है०	थोक व्यापार	आवासीय	0.24 है०	
29	श्रीमती मांगी बाई पत्नि श्री शांतिलाल पाटीदार	राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० , 653/2656 रकबा 0.16 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.16 है०	स्वीकृत
	श्री शांतिलाल पुत्र श्री बाबूलाल पाटीदार	राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० 653, रकबा 0.17 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.17 है०	
आमेट						
30	श्री प्यारे लाल पुत्र श्री चम्पा लाल, श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री सुरेश कुमार, श्रीमती कमला पत्नि श्री नारायण लाल खटीक	राजस्व ग्राम आमेट के खसरा नं० 2930,2931,2932 रकबा 0.26 है०	पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान,	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.26 है०	स्वीकृत
कानोड						
31	श्रीमती रोशन देवी हरिजन पिता मांगु हरिजन	राजस्व ग्राम कानोड के खसरा नं. 187 मी, 188 मी,	अन्य सामुदायिक सुविधारे	आवासीय	रकबा 01-02-1 5 बीघा	स्वीकृत
अतिरिक्त एजेण्डा						
बीकानेर जोन						
पीलीबंगा						
32	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री मन्नीराम पुनिया	पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के पत्थर नं. 33/307 मुरब्बा नं. 18, मुरब्बा नं. 8	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	2.793 है०	स्वीकृत
जोधपुर जोन						
आबूरोड						
33	मैसर्स वाइटल ग्रुप जरिये श्री दीपक कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल व श्री रीनेश कुमार पुत्र श्री अम्बालाल	राजस्व ग्राम मानपुर के खसरा नं. 620 व 623 कुल किता 2, रकबा 5611.78 वर्गमीटर		आवासीय	व्यावसायिक	0.561 है०
उदयपुर जोन						
चित्तौड़गढ़						
34	श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह चौहान	राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ के खसरा नं० 2876/1, 2876/2, 3490/2877		व्यावसायिक	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.502 है०
कुशलगढ़						
35	श्रीमती मंजुला पत्नि श्री मुकेश कुमार लुणावत एवं श्रीमती नीता पत्नि श्री मयंक कुमार लुणावत	राजस्व ग्राम कुशलगढ़ के सर्वे नं. 121	खेल के मैदान/स्टेडियम	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.384 है०	स्वीकृत
जयपुर जोन						
चाकसू						
36	स्वागत कोलोनाईजर्स प्रा०लि० जरिये निदेशक श्री रूपनारायण पुत्र श्री लल्लूलाल	राजस्व ग्राम चाकसू (पूर्व) के खसरा नं. 162, 163, 169, 171 से 175, 179/11924, 180/11923, 301, 302, 303, 305, 306 रकबा 5.17 है०	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय प्रयोजनार्थ	5.17 है०	स्वीकृत

दिनांक 26.11.2015 तक प्राप्त उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त 5 प्रकरण प्राप्त होने पर अध्यक्ष, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की अनुमति से बैठक में रखे गये। बैठक में कुल 36 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया है।

जोन वार प्रकरणों की संख्या

क्र.स.	जोन	प्रकरणों की संख्या
1	अजमेर जोन	11
2	बीकानेर जोन	07
3	जयपुर जोन	07
4	जोधपुर जोन	03
5	उदयपुर जोन	08
कुल प्रकरण		36

प्रस्तावित भू-उपयोग अनुसार प्रकरणों की संख्या

आवासीय	व्यावसायिक	संस्थानिक (स्कूल प्रयोजनार्थ)
24	9	3

नोट:- दो प्रकरण नगर पालिका द्वारा एवं एक प्रकरण राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा, कुल तीन प्रकरण राजकीय है।

एजेण्डा नं. 12/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ़

शहर करबे का नाम	हनुमानगढ़
1. आवेदक का नाम	श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री बृजलाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक नं. 48 एनजीसी के प.न. 128/263 के मु.नं. 34, किला नं. 21/1/0.017, प.न. 128/264 के मु.नं. 43, किला नं. 1/2/0.022 कुल 0.039 हैक्टेयर (390 वर्गमीटर)
3. क्षेत्रफल	0.039 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	केन्द्रीय बस स्टेण्ड
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में केन्द्रीय बस स्टेण्ड दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 13.05.2003 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग मौके पर विद्यमान 100 फीट चौड़ी सड़क (हनुमानगढ़ टारुन से जंक्शन) उपलब्ध जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग समिति की बैठक संख्या 88 दिनांक 12.08.2008 व द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 के एजेण्डा संख्या 14 में लिये गये निर्णय अनुसार हनुमानगढ़ टारुन से जंक्शन को मिलाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट सुनिश्चित किया गया है। आवेदित स्थल के पीछे राजस्व रास्ता गुजर रहा है पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार उक्त रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में दिनांक 05.08.2015 व टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 06.08.2015 को प्रकाशित की गई। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ द्वारा केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंभा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 04.09.15 में कतिपय शर्तों के अधधीन आवेदित भूमि का केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंभा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>हनुमानगढ़ मास्टर प्लान काफी पुराना हो चुका है, तथा नगर परिषद द्वारा नवीन मास्टर प्लान प्रस्तावित है। चूंकि वर्तमान में पूर्व की तुलना में विकास काफी तेजी से हो रहा है। पूर्व में भी भू-उपयोग परिवर्तन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 में केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। अतः प्रकरण में केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अधधीन आवेदित भूमि के केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> राज्य स्तरीय भू-उपयोग समिति की बैठक संख्या 88 दिनांक 12.08.2008 व द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 के एजेण्डा संख्या 14 में लिये गये निर्णय अनुसार हनुमानगढ़ टारुन से जंक्शन को मिलाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट सुनिश्चित किया गया है। अतः सड़क के मध्य से 75 फीट दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा सड़क हेतु निःशुल्क नगर परिषद के पक्ष में समर्पित की जानी होगी, तथा स्थल के पश्च भाग में विद्यमान राजस्व रास्ता जो कि 60 फीट चौड़ा प्रस्तावित है की मध्य रेखा से 30 फीट चौड़ी भू-पट्टी मार्गाधिकार कायम करने हेतु नगर परिषद के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करनी होगी। व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का अनुमोदन प्रचलित भवन विनियमों के तहत सक्षम स्तर से कराया जाना होगा। प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु राज्य पथ परिवहन निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंभा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंभा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अधधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
शांकरागार नगर, जयपुर

एजेण्डा नं.13/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1. आवेदक का नाम	श्री गुलजार, श्री जग्गा सिंह पुत्र श्री जीत सिंह रामगढ़िया साकिन
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक नं. 48 एनजीसी के प.न. 131/261 के किला नं. 2/0.090, 3/0.036 कुल 0.126 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	0.126 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लेण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 13.05.2003 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि हनुमानगढ टाऊन से सतीपुरा की ओर जाने वाली विद्यमान सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क (मैगा हाइवे) का मार्गाधिकार शहर के अन्दर 100 फीट निर्धारित किया गया है। आवेदित स्थल में से उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश व दैनिक भास्कर में दिनांक 05.11.2014 को प्रकाशित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंभा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 22.06.15 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंभा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत 100 फीट पंहुच मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रश्नगत भूमि वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि हनुमानगढ टाऊन से सतीपुरा की ओर जाने वाली विद्यमान सड़क पर स्थित है। भू-उपयोग परिवर्तन की पूर्व बैठक दिनांक 29.12.2014 एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक सं. 85/2008 दिनांक 09.07.2008 व 76 दिनांक 22.12.2007 में व्यावसायिक (होटल, पेट्रोल पम्प, मैरिज गार्डन) तथा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जा चुके हैं। इस सड़क पर व्यावसायिक गतिविधियां का विकास तेजी से हो रहा है। अतः नगर के आर्थिक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित स्थल के लिए पंहुच मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट है। अतः आवेदक को सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर परिषद के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। 2. आवेदित स्थल में से उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। जिसे अन्यत्र स्थानान्तरित करवाना होगा अन्यथा विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि० के नियमानुसार विद्युत लाईन के नीचे खुला स्थल छोड़ना होगा। 3. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का अनुमोदन प्रचलित भवन विनियमों के तहत सक्षम स्तर से कराया जाना होगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। 5. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंभा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंभा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।


वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं.14/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/सुरतगढ

शहर कस्बे का नाम	सुरतगढ
1. आवेदक का नाम	श्री नरेन्द्र मूलचन्द धनवानी पुत्र श्री मूलचन्द धनवानी व श्रीमती राखी पुत्री श्री नरेन्द्र मूलचन्द धनवानी
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम माणकसर के खसरा नं0 272/234
3. क्षेत्रफल	2.922 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि सुरतगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 27.11.2001 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि सुरतगढ-अनूपगढ रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 120 से 150 फीट चौड़ा प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 130 वीं बैठक दिनांक 29.11.2012 में प्रश्नगत भूमि के सामने सड़क के दूसरी ओर वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। प्रकरण में सुरतगढ-अनूपगढ सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट रखने एवं इसके पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आवश्यक भूमि छोड़ते हुये शेष भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ सशर्त भू-उपयोग परिवर्तन किया गया। प्रश्नगत भूमि टीले पर स्थित होने के कारण सड़क के सहारे वृक्षारोपण पट्टी नहीं रखी गयी है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.09.2013 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 27.01.2014 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>सुरतगढ मास्टर प्लान को लागू हुये लगभग 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अतः नगरीय आबादी विस्तार के दृष्टिगत तथा 150 फीट चौड़ी सड़क पर भूमि की स्थिति होने के कारण मास्टर प्लान में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि सुरतगढ-अनूपगढ रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 150 फीट चौड़ा प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 75 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा सड़क हेतु नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</p> <p>2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा।</p> <p>4. योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/प्लेट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखे जावेगा।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

योजना के ले-आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग को कराया जाना होगा, ताकि समिति के निर्णय की पालना सुनिश्चित हो सके।

(Handwritten Signature)
वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विकास
राजपल्लव परबल, जयपुर

एजेण्डा नं.15/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/सुरतगढ

शहर कस्बे का नाम	सुरतगढ
1. आवेदक का नाम	राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड हनुमानगढ
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सुरतगढ के खसरा नं0 355/6
3. क्षेत्रफल	84.721 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि सुरतगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 27.11.2001 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से 30 मीटर चौड़ाई का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। आवेदित भूमि में से 6 उच्च क्षमता की विद्युत लाईनें व नहर गुजर रही है, उत्तर-पूर्व दिशा में कच्ची बस्ती आवासित है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 13.06.15 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 17.09.15 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में बढ़ी टाउनशिप विकसित किये जाने एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010, तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना की पालना सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत राजकीय योजना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा मुख्य सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से 30 मीटर चौड़ाई का रास्ता आवेदित भूमि में से सुनिश्चित किया गया है। जिसको यथावत रखा जाना अनिवार्य होगा।</p> <p>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी./एल.टी. विद्युत लाईनों की क्षमता अनुसार आवेदित भूमि में से 11 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक: प. 18(44)नवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।</p> <p>3. प्रश्नगत भूमि के पास गुजर रही नहर/खाला आदि हेतु सम्बन्धित विभाग के मापदण्डों के अनुसार नहर/खाले की भूमि यथावत कायम रखते हुये नियमानुसार सुरक्षात्मक उपाय कायम किये जाने होंगे।</p> <p>4. आवेदित भूमि हिण्डोन सड़क एवं करौली सड़क तथा तथा हिण्डोन सड़क को करौली सड़क से जोड़ने वाली लिंक सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित किया गया है। तथा उपरोक्त तीनों सड़कों के मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल की योजना में रखा जाना होगा।</p> <p>5. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>6. योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 1000 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>7. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>8. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी राजस्थान आवासन मण्डल की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।</p> <p>9. नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>10. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सुरतगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय राजकीय विकास

एजेण्डा नं.16/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रतनगढ

शहर कस्बे का नाम	रतनगढ
1. आवेदक का नाम	श्री जगदीश सिंह चारण पुत्र श्री रतनदान चारण
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देराजसर के खसरा नं0 301/264/259, रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 1088.89 वर्गगज (910.45 वर्गमीटर)
3. क्षेत्रफल	.091 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि रतनगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 07.11.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि रतनगढ-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 से सालसर को जाने वाली मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क (एम.डी.आर.-30) पर स्थित है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक युगपत में दिनांक 04.03.2015 व दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.03.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 15.06.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>मास्टर प्लान के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में भूके पर आवेदित स्थल के आस-पास छित्राय रूप में विकास हो रहा है, तथा प्रश्नगत भूमि एनएच-11 के दक्षिण में स्थित है। भूमि की उक्त स्थिति तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने एवं ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यक्षीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि विद्यमान 100 फीट चौड़ी रतनगढ-सालसर सड़क पर स्थित है। अतः आवेदक को सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को सड़क हेतु निःशुल्क नगर पालिका के पक्ष में समर्पित करनी होगी।</p> <p>2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में एक 10 फीट का रास्ता है। यदि यह रास्ता स्वीकृत राजस्व रास्ता है तो रास्ते का मर्गाधिकार 60 फीट मानते हुये इसके मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि रास्ते हेतु आवेदक द्वारा नगर पालिका को निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।</p> <p>3. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का अनुमोदन प्रचलित भवन विनियमों के तहत सक्षम स्तर से कराया जाना होगा।</p> <p>4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</p> <p>5. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं.17/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/भादरा

शहर कस्बे का नाम	भादरा
1. आवेदक का नाम	नगर पालिका भादरा (आवंटन के प्रयोजन से)
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भादरा के चक नं. 10, मु.नं. 107 के किला नं. 2 व मु.नं. 94 के किला नं. 19/2 व किला नं. 22 की रिक्त की भूमि
3. क्षेत्रफल	0.54 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ (पत्रकार समिति के आवासीय उपयोग हेतु आवंटन)
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, भादरा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि भादरा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 30.05.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि आई.डी.एस.एम. टी. की प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, भादरा के पत्र दिनांक 26.10.2015 द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा प्रेषित की गई है।</p> <p>3. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 13.07.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(36)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में सुनियोजित विकास के दृष्टिगत भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है। अतः निम्न शर्तों के अध्यक्षीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि आई.डी.एस.एम.टी. की प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट दूरी में आने वाली भूमि नगर पालिका के स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका भादरा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकाशन करवाकर 15 दिवस में प्राप्त आपत्तियों का स्थानीय स्तर पर निष्पादन कर अग्रिम कार्यवाही की जावे।</p> <p>3. प्रश्नगत भूमि के पास गुजर रही नहर/खाला आदि हेतु सम्बन्धित विभाग के मापदण्डों के अनुसार नहर/खाले की भूमि यथावत कायम रखते हुये नियमानुसार सुरक्षात्मक उपाय कायम किये जाने होंगे।</p> <p>4. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया जाना होगा।</p> <p>5. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</p> <p>7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, भादरा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन सर्वसम्मति से अनुमोदित कर यह निर्णय लिया गया कि पत्रकारों को आवंटन हेतु आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के प्रावधान नहीं है। अतः सामान्य आवासीय योजना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत किया गया है।




वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 32/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पीलीबंगा

(पूर्व निर्णय में संशोधन हेतु)

शहर कस्बे का नाम	पीलीबंगा
1. आवेदक का नाम	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री मन्नीराम पुनियां
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के पत्थर नं. 33/307 मुरब्बा नं. 18, मुरब्बा नं. 8
3. क्षेत्रफल	2.793 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि का नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 138 वी बैठक दिनांक 04.09.2013 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त निर्णय राज्य सरकार से अनुमोदित है।</p> <p>2. लिए गये निर्णय में बाईपास सड़क की चौड़ाई 160 फीट की जगह 200 फीट अंकित हो गई थी। मास्टर प्लान में उक्त सड़क की चौड़ाई 160 फीट दर्शाई गई है।</p> <p>3. सड़क की चौड़ाई के संशोधन के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 28.04.2015 अनुसार कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर द्वारा पत्र दिनांक 04.09.2013 में दी गई तकनीकी राय में सहवन से 160 फीट के स्थान पर 200 फीट लिखित हो गया था। अतः मास्टर प्लान अनुसार सड़क की चौड़ाई 160 फीट कायम करने हेतु राज्य स्तरीय अनुमति का निवेदन किया गया है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 3 तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण में पूर्व में भू-उपयोग परिवर्तन निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 138 वी बैठक दिनांक 04.09.2013 में किया जा चुका है। चूंकि पूर्व में लिया गया निर्णय राज्य स्तरीय समिति में लिया गया है। अतः लिए गये निर्णय में संशोधन हेतु निर्णय की राज्य स्तरीय समिति में लिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में नगर पालिका एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की राय एवं मास्टर प्लान में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 160 फीट है। अतः सड़क की चौड़ाई 200 फीट के स्थान पर 160 फीट किया जाना उचित है।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर